न्यायालय, अपर समाहर्ता, रॉची।

एस ए आर अपील 49 आर 15/08–09

उषा देवी अपीलकर्ता

बनाम

किसना उरॉव प्रतिवादी

आदेश

9/12.11.2008 यह अपील एस ए आर वाद संख्या 158/05–06 में विशेष विनियमन पदाधिकारी, रॉची द्वारा दिनांक 12.4.2008 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। निम्न न्यायालय ने निम्नांकित जमीन प्रतिवादी को वापस करने का निर्णय लिया है।

ग्राम	खाता	खेसरा	रकबा
मधुकम	38	631	3 कट्ठा 14 छटॉक

अपीलकर्ता ने यह अपील 1 कट्ठा 9 छटॉक जमीन के लिए दायर किया है। अपील आवेदन में बताया गया है कि विवादित जमीन का प्रथम हस्तांतरण 52 बर्ष पूर्व हुआ था। जमीन भूतपूर्व जमींदार के दखल में था जिसने वंशी कुम्हार को हस्तांतरित किया था। वंशी कुम्हार ने 1992 में वर्तमान अपीलकर्ता को भूमि का हस्तांतरण किया। निम्न न्यायालय का वाद कालबाधित था क्योंकि यह 52 बर्षों के बाद दायर किया गया। अपील आवेदन में कहा गया है कि अपीलकर्ता क्षतिपूर्ति की राशि देने को तैयार हैं।

अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने बहस में अपील आवेदन के तथ्यों का ही उल्लेख किया परन्तु वे यह नहीं बता पाये कि जमीन का प्रथम हस्तांतरण किस दस्तावेज के माध्यम से हुआ था। प्रतिवादी नोटिस प्राप्त करने के वाबजूद इस वाद में उपस्थित नहीं हुए।

प्रस्तुत वाद में उपलब्ध तथ्यों से यह स्पष्ट है कि विवादित जमीन आदिवासी खाते की है जिसका सर्वप्रथम हस्तांतरण किस प्रकार हुआ यह अज्ञात है। अपीलकर्ता इस प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाये हैं। इससे यह स्पष्ट है कि विवादित

जमीन के हस्तांतरण में धारा 46 छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है। वास्तव में अपीलकर्ता ने 1992 में विवादित जमीन हासिल किया है। अतः अपीलकर्ता को किसी प्रकार का प्रतिकार नहीं दिया जा सकता है।

उपरोक्त वर्णित परिस्थिति में अपील अस्वीकृत किया जाता है। अंचल पदाधिकारी षहर को 15 दिनों के अन्दर दखल देहानी कराने हेतु निर्देश भेजें।

दिनांकः— 12.11.2008 लेखापित एवं संशोधित।

ह0/—
अपर समाहर्ता,
रॉची।